



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092020-221579  
CG-DL-E-05092020-221579

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356]  
No. 356]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2020/भाद्र 13, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020/BHADRA 13, 1942

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)  
(पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2020

मि.सं. सीयूपीबी/सीसी/19-20/अध्या/2361-केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 25) के अनुच्छेद 27 की उपधारा- (2) के साथ पठित अनुच्छेद 20 की उपधारा- (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से कार्यकारिणी परिषद् पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिनियमों को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित परिनियम बनाता है, यथा:-

1. लघु शीर्षक एवं प्रवर्तन. - (1) इन परिनियमों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम (पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय हेतु), 2020 कहा जाए।

(2) ये अधिकृत राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे।

2. पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में, -

(i) परिनियम 9 के बाद निम्नलिखित परिनियम जोड़ा जाएगा, यथा: -

## “9 क. कोर्ट का गठन

(1) कोर्ट में निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा: —

### (क) पदेन-सदस्य:

- (i) कुलाधिपति;
- (ii) कुलपति;
- (iii) समकुलपति-, यदि कोई हो;
- (iv) वरिष्ठतम डीन;
- (v) डीन विद्यार्थी कल्याण;
- (vi) वित्त अधिकारी;
- (vii) परीक्षा नियंत्रक;
- (viii) पुस्तकालयाध्यक्ष; और
- (ix) कुलसचिव, सदस्य सचिव।

### (ख) अकादमिक कर्मचारियों के प्रतिनिधि:

- (i) अध्ययन विद्यापीठों के डीन में से वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य।
- (ii) विश्वविद्यालय द्वारा संकायों में नियुक्त शिक्षकों में से वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नामित दो शिक्षक (एक सह प्रोफेसर एवं एक सहायक प्रोफेसर)।

### (ग) कुलाध्यक्ष और कुलाधिपति के नामिती:

- (i) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित तीन व्यक्ति, जो विख्यात अकादमिक विद्वान हों अथवा जिन्हें उच्चतर शिक्षा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो।
- (ii) कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो प्रबुद्ध पेशेवर अथवा प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हो।

### (घ) कुलपति के नामिती:

विज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व वाले तीन व्यक्ति।

### (ङ) कार्यकारिणी परिषद् के नामिती:

कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामित नागरिक समाज (गैर-सरकारी संगठन अथवा उद्योग अथवा विधिक समुदाय अथवा प्रख्यात नागरिक) के दो प्रतिनिधि।

### (च) विद्यार्थियों के प्रतिनिधि:

विद्यार्थियों के दो प्रतिनिधि (विद्यार्थी परिषद् द्वारा विद्यार्थी परिषद् में से चयनित एक पुरुष और एक महिला)

### (छ) पूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि:

एक प्रतिनिधि (पूर्व विद्यार्थी संघ द्वारा चयनित)

(2) पदेन-सदस्यों को छोड़ कर कोर्ट के अन्य सभी सदस्य तीन वर्ष की एक अवधि के लिए कोर्ट में बने रहेंगे।

परंतु उप परिनियम (1) के पैरा (च) के अधीन सदस्य एक वर्ष अथवा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहने तक, जो भी पहले हो, की अवधि तक कोर्ट में बने रहेंगे।

(3) कोर्ट के एक तिहाई सदस्यों से कोर्ट की बैठक की गणपूर्ति होगी।”

(ii) परिनियम 10 में उपपरिनियम- (5) हटाया जाएगा।

**नोट:** परिनियम 10(5) को असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या 27, भाग-II, खंड-I दिनांक 20.03.2009 के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में प्रकाशित किया गया था। यह परिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का हिस्सा था।

कंवर पाल सिंह मंदरा, कुलसचिव  
[विज्ञापन-III/4/असा./213/2020-21]

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**

**(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)**

(CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2020

**F.No. CUPB/CC/19-20/Ord./2361.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 read with sub-section (2) of section 27 of the Central Universities Act, 2009 (25 of 2009), the Executive Council of the Central University of Punjab with the approval of the Visitor, hereby makes the following Statutes to amend the Central Universities of Punjab Statutes, namely:-

**1. Short title and commencement.** — (1) These Statutes may be called as the Central Universities (Amendment) Statutes (for Central University of Punjab), 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. In the first Statute of the Central University of Punjab -**

(i) after Statute 9, the following Statute shall be inserted, namely: -

**“9 A. Constitution of the Court.** (1) The Court shall consist of the following members, namely:-

**(a) Ex-Officio Members:**

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Pro Vice-Chancellor, if any;
- (iv) the Senior Most Dean;
- (v) the Dean Students' Welfare;
- (vi) the Finance Officer;
- (vii) the Controller of Examinations;
- (viii) the Librarian; and
- (ix) the Registrar, Member Secretary.

**(b) Representatives of the Academic Staff:**

- (i) Two members from amongst the Deans of Schools of Studies, by rotation according to the seniority, to be nominated by the Vice-Chancellor.
- (ii) Two Teachers (One Associate Professor and one Assistant Professor) from among the University appointed teachers of the Faculties, to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation according to the seniority.

**(c) Nominees of the Visitor and Chancellor:**

- (i) Three persons, who are well known academicians or who have special knowledge or practical experience in higher education, to be nominated by the Visitor.
- (ii) One Person who is learned professional or eminent scientist, to be nominated by the Chancellor.

**(d) Nominees of the Vice-Chancellor:**

Three persons of eminent personality in the field of Science and Education.

**(e) Nominees of the Executive Council:**

Two representatives of Civil Society (Non-Government Organization or Industry or Legal Fraternity or Eminent Citizen), to be nominated by the Executive Council.

**(f) Representatives of Students:**

Two representatives of students (one male and one female elected by the members of the Students' Council from among themselves).

**(g) Representatives of Alumni:**

One representative (Elected by the Alumni Association).

- (2) All members of the Court, other than *ex-officio* members shall hold office for a term of three years:

Provided that the members referred to under clause (f) of sub statute (1) shall hold office for a period of one year or till such time as they continue to be students of the university, whichever is earlier.

- (3) One third members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court.”

- (ii) In Statute 10, the sub-statute (5) shall be omitted;

**Note:** The Statute 10(5) was published in the Central Universities Act, 2009 vide Extraordinary Gazette Notification No. 27, PART-II, Section-I dated 20.03.2009. The Statute was the part of Central Universities Act, 2009.

KANWAL PAL SINGH MUNDRA, Registrar

[ADVT-III/4/Exty/213/2020-21]

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2020

**फा. सं. सीयूपीबी/सीसी/19-20/अध्या./2361.**—केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अनुच्छेद 28 की उप-धारा (2) के साथ पठित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाध्यक्ष की सहमति से अध्यादेश सं. XIII को निम्नलिखित से बदला जाता है:

**"XIII****विभागाध्यक्ष**

[अधिनियम अनुच्छेद 6, परिनियम 15(5)(क)]

**1. अध्यक्ष की नियुक्ति**

विभागाध्यक्ष के पद पर विभाग के प्रोफेसर व सह-प्रोफेसर की नियुक्ति उनकी वरीयता के क्रम में चक्रानुक्रम से की जाएगी।